



उच्च न्यायालय,इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2397/2026

अन्नु

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: राजेश प्रसाद यादव

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि इस मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता को पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है; इसलिए, वह इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. इसके मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

18 फरवरी, 2026

वीकेजी

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”